न्यायालय उपखंण्ड अधिकारी कुशलगढ़ जिला बाँसवाड़ा (राजं.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.)
प्रकरण संख्या – 10/2024
ऑनलाईन प्र.स. – 2024/47

दायर दिनांकः– 04.07.2024
निर्णय दिनांकः– 06.09.2024

सरपंच, ग्राम पंचायत छोटी सरवा व ग्रामवासी छोटी सरवा
बनाम
भुमिधारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 इन्द्राज दुरस्ती

आदेश

प्रार्थीगण सरपंच ग्राम पंचायत छोटी सरवा व ग्रामवासीयों की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम छोटी सरवा के सेटलमेन्ट खाता नम्बर 72 में खसरा नम्बर 70 व 88 संयुक्त का रकबा 2.44 एकड किस्म आबादी भूमि रेकार्ड में दर्ज है। ग्राम छोटी सरवा के जमाबन्दी संवत् 2031–34, 2043–46, 2047–50, 2051–54, 2055–58 में खाता नम्बर 01 में खसरा नम्बर 70 व 88 का संयुक्त का रकबा 2.37 एकड किस्म आबादी भूमि रेकार्ड में दर्ज होकर किस्म का इन्द्राज सही किया हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2067–70 में खाता संख्या 01 किस्म आबादी खसरा नम्बर 70 रकबा 2.37 एकड़ किस्म जाव A दर्ज कर दिया गया है, जबकि वास्तव में तत्कालीन समय में उक्त खसरा नम्बर संयुक्त रूप से 70 व 88 का रकबा 2.37 एकड किस्म आबादी दर्ज होना चाहिए था। जो कि अशुद्ध रूप से गलत दर्ज है। इसी प्रकार आगामी जमाबन्दी संवत् 2059–62 व 2071–74 में व ऑनलाईन जमाबन्दी संवत् 2074–77 में भी उक्त खसरा नम्बर 70 रकबा 0.9591 किस्म जाव A दर्ज रिकार्ड की गई है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। राजस्व ग्राम छोटी सरवा का सेटलमेन्ट नक्शा संवत् 2015 में भी खसरा नम्बर 70 व 88 संयुक्त रूप से नक्शे में दर्ज है, जबकि भू अभिलेख आधुनिकीकरण के तहत 1:1 मेपिंग में उक्त नक्शा भी केवल खसरा नम्बर 70 डालकर त्रुटिपूर्ण ऑनलाईन रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उक्त रिकार्ड के अशुद्ध होने तथा नक्शा के भिन्नता की वजह से ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों में त्रुटिपूर्णता तथा विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तथा पंजीयन में भी नियमानुसार कार्य सम्पन्न होने में कठिनाईयों का सामना करना पडता है। अतः सम्पूर्ण रिकार्ड सलंग्न कर निवेदन है कि वर्तमान रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर 70 रकबा 0.9591 हैक्टेयर किस्म जाव A को शुद्ध किया जाकर सही खसरा नम्बर 70 व 88 संयुक्त रकबा 0.9591 हैक्टेयर किस्म आबादी दर्ज किया जावे। इसी प्रकार राजस्व ऑनलाईन नक्शे में भी खसरा नम्बर 70 रकबा 0.9591 हैक्टेयर की बजाय सही नक्शा व खसरा नम्बर 70 व 88 संयुक्त रूप से रकबा 0.9591 हैक्टेयर किस्म आबादी दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार कुशलगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम छोटी सरवा में संवत् 2012 में बना सेटलमेंट नक्शा जिसमें खसरा संख्या 88 व 70 शामलात होकर दोनों का रकबा 2.44 एकड होकर आबादी दर्ज है। वर्तमान में इकाई हैक्टेयर में हो गई है। अतः इसका रकबा वर्तमान इकाई में 0.9874 हैक्टेयर होगा। उक्त खसरा नम्बर जॉच में संयुक्त रूप से दर्ज है, जिसमें खसरा संख्या 88 का क्षैत्रफल 70 से अधिक है एवं ज्यादातर आबादी उक्त खसरे में पुराने समय से बसी होकर निवास कर रही है। जिसमें वर्तमान नक्शे में 70 के भाग 301/70 एवं 298/70 जिनका रकबा क्रमशः 0.0202 हैक्टेयर एवं 0.0081 हैक्टेयर है। ग्राम पंचायत छोटी सरवा द्वारा खसरा संख्या 88 व 70 दोनों संयुक्त होने से कोई पट्टा जारी किया गया है तो उचित माना है। तथा इनका नक्शा खसरा संख्या 70 में बना हुआ है, जिसकी शुद्धि एवं मूल खसरा संख्या 72 की शुद्धि नक्शे अनुसार किया जाना उचित है। मूल नक्शे अनुसार खसरा संख्या 70 व 88 की शुद्धि किस्म जाव A की जगह आबादी दर्ज किया जाने तथा खसरा संख्या 72, 70 एवं 88 रकबा व नक्षा की शुद्धि सलंग्न नक्शानुसार किया जाना उचित है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, बयान प्रार्थीगण, दस्तावेज रिकार्ड, ऑनलाईन खसरा नक्शा, जमाबन्दी, भू–नक्षे एवं तहसीलदार कुशलगढ की रिपोर्ट मय मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार से इस संबंध में की गई बहस एवं प्राप्त रिपोर्ट में भी ग्राम छोटी सरवा के प्रार्थीगणों के वर्तमान रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर 70 रकबा 0.9591 हैक्टेयर किस्म जाव A को शुद्ध किया जाकर सही खसरा नम्बर 70 व 88 संयुक्त रकबा 0.9591 हैक्टेयर किस्म आबादी दर्ज किया जावे। इसी प्रकार राजस्व ऑनलाईन नक्शे में भी खसरा नम्बर 70 रकबा 0.9591 हैक्टेयर की बजाय सही नक्शा व खसरा नम्बर 70 व 88 रकबा 0.9591 हेक्टेयर किस्म आबादी दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी सरपंच व ग्रामवासीयों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम छोटी सरवा के वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बर 70 व 88 का रकबा 0.9591 हैक्टेयर किस्म जाव A के बजाय किस्म आबादी दर्ज करने तथा खसरा नम्बर 70 व 70 से विभाजित, खसरा नम्बर 88, खसरा नम्बर 89, तथा 72 से विभाजित खसरो का संलग्न प्रस्तुत नक्शे अनुसार रकबा व खसरे की शुद्धि किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। तहसीलदार कुशलगढ़ उक्तानुसार जमाबन्दी तथा ऑनलाईन भू– नक्शे में शुद्धि कर अमलदरामद करें। संलग्न ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग होगा।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को टंकीत कराया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner